

266

142

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मप्रॉग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, मप्रॉ.

III/विमो/रीवा/श्रीवा/2017/4176 निगरानी क्र०/ /017



- 01- सुरेश कुमार उपाध्याय
 - 02- अमरेश कुमार उपाध्याय
 - 03- दिनेश कुमार उपाध्याय
 - 04- अजेश कुमार उपाध्याय
 - 05- रमेश कुमार उपाध्याय
 - 06- व्योमेश कुमार उपाध्याय तनय दिनेश कुमार उपाध्याय
 - 07- शिरीश कुमार उपाध्याय तनय श्री शिवकुमार उपाध्याय
- सभी निवासीगण ग्राम गुढ, तहसील गुढ, जिला रीवा, मप्रॉ.

B-301

----- आवेदकगण

बनाम

- 01- कुसुम कली उपाध्याय विधवापत्नी लक्ष्मीकान्त उपाध्याय
 - 02- उमेश कुमार उपाध्याय तनय शिव कुमार उपाध्याय
- निवासीगण ग्राम गुढ, तहसील गुढ, जिला रीवा, मप्रॉ.

----- अनावेदकगण.

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहड गुढ, आदेश दिनांक 17.08.017 राजस्व प्रकरण क्र० 19/अपील/2017-18 मे पारित ।

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मप्रॉभू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षण आवेदन के आधार निम्नलिखित है :-

यहकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.08.017

निरंतर..2पर

आवेदक 2004 अजेश
श्रीवा सुवर्णाप
पेरा/03-11-17

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट रीवा)

142

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III/निगा०/रीवा/अ-ए/2017/4176 जिला रीवा

अरुण कुमार आश्याय विरुद्ध कसम कली उपश्याय

1	2	3
16119-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>अनंजलि उपश्याय</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील <u>गुह</u> के प्रकरण क्रमांक <u>19/अपील/2017-18</u> में पारित आदेश दिनांक <u>17.08.17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>29.03.19</u> को कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	सदस्य